दिनांक: जून 06, 2025

शुद्धिपत्र और निविदा-पूर्व प्रश्नों के उत्तर – "मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं की खरीद" के लिए सीमित प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी)

भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय ने उपर्युक्त विषय पर ई-निविदा संदर्भ संख्या - आरबीआई/डीसीएम-केंद्रीय कार्यालय विभाग/अन्य/2/25-26/ईटी/70 आमंत्रित की थी, जिसे एमएसटीसी पोर्टल और आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 02 मई, 2025 को प्रकाशित किया गया था।

2. इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि आरएफपी दस्तावेज़ के कुछ खंडों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

क्र. सं.	आरएफपी दस्तावेज़ का खंड और पैरा संख्या	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
1.	**परिभाषा ii.**	"आरबीआई की संतुष्टि" - इसका अर्थ है कि आरबीआई के आकलन में, डीपीआर, विक्रेता चयन, पीएम-सीए और पीएम-पीएफ के तहत प्रत्येक सुविधा आवश्यक प्रदर्शन मानकों को पूरा कर रही है और सभी प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थिरीकरण अवधि (परिचालन के बाद 12 महीने का संतोषजनक प्रदर्शन) के बाद अपेक्षित रूप से कार्य कर रही हैं, प्रत्येक भौतिक सुविधा के लिए अलग से;	"आरबीआई की संतुष्टि" - इसका अर्थ है कि आरबीआई के आकलन में, डीपीआर, विक्रेता चयन, पीएम-सीए और पीएम-पीएफ के तहत प्रत्येक सुविधा सहमत प्रदर्शन मानकों को पूरा कर रही है और सभी प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थिरीकरण अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक भौतिक सुविधा के लिए अलग-अलग निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप काम कर रही हैं;
2.	**परिभाषा xvii.** **खंड V – संविदा की शर्तें**	स्थिरीकरण अवधि - डिलिवरी के शुरू होने के बाद 12 महीने तक संतोषजनक प्रदर्शन को संदर्भित करता है, जिसमें अधिभोग के लिए आवश्यक अनुमति / एनओसी / प्रमाण पत्र प्राप्त करना शामिल है, जहां लागू हो। हालांकि, स्थिरीकरण अवधि का समापन आरबीआई द्वारा संतुष्टि के प्रमाणीकरण के अधीन है;	"संतुष्टि का प्रमाणन", "संतुष्टि प्रमाणपत्र" और "संतुष्टि प्रमाणपत्र" वाक्यांशों को "आरबीआई की संतुष्टि" के रूप में पढ़ा जाएगा।

	5.2	अनुबंध की अवधि का अर्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लेकर सभी चरणों के लिए बैंक द्वारा संतुष्टि के प्रमाणीकरण तक की अवधि होगी, जो सात (7) वर्ष तक चलेगी, पहले चरण की अवधि पहले चार (4) वर्ष होगी। बाद के चरण पिछले चरण/चरणों के साथ ओवरलैप हो सकते हैं। बैंक परियोजना निष्पादन के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति देने या किसी भी चरण/सुविधाओं की निश्चित संख्या के बाद परियोजना को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।	
	5.11 निविदाकार को भुगतान भाग I –परियोजना रिपोर्ट	चरण I में कम से कम 1 एसआईओ, 1 एससीसी और 1 एलसीसी के लिए संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी करते समय	
	माइलस्टोन VIII **$ - डिलीवरी समयसीमा	स्थिरीकरण के लिए, चरण I में व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए लाइव होने के 12 महीने बाद और RBI द्वारा संतुष्टि के प्रमाणीकरण के बाद।	
	माइलस्टोन IX **$ - डिलीवरी समयसीमा	चरण I में व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए गो-लाइव के बाद 18 महीने के लिए और RBI द्वारा संतुष्टि के प्रमाणीकरण के बाद (सीए क्षेत्रों के एकीकरण के लिए 6 महीने + सुविधा के स्थिरीकरण के लिए 12 महीने)	
	5.10.2 चरण I अनुबंध अवधि के भीतर शुरू होने वाले भावी चरण:	..... CI_T = श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा घोषित परियोजना स्थान के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, माह के अंत में, चरण I के लिए संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान करते समय या 5 वर्ष, जो भी बाद में हो, साथ ही भविष्य के चरणों के संबंध में परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक (बैंक के विवेक पर) को दिए जाने वाले विलम्ब को भी शामिल किया जाएगा।	

3.	**खंड I - निविदा आमंत्रण सूचना - पहला पैरा** **खंड V - अनुबंध की शर्तें - 5.2** **अनुलग्नक II (कार्य का विस्तृत दायरा) - भाग II – विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग और परियोजना प्रबंधन के लिए निविदा प्रक्रिया**	"...परियोजना के प्रथम चरण के लिए अपेक्षित समय-सीमा चार वर्ष है ...". अनुबंध की अवधि का तात्पर्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लेकर सभी चरणों के लिए बैंक द्वारा संतुष्टि प्रमाणन तक की अवधि से होगा, जो सात (7) वर्ष होगी, प्रथम चरण की अवधि पहले चार (4) वर्ष होगी। समयसीमा: परियोजना के प्रथम चरण के लिए अपेक्षित समयसीमा अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि से चार वर्ष है।	वाक्यांश "चार वर्ष" और "चार (4) वर्ष" को "चार वर्ष और तीन महीने" पढ़ा जाएगा।
4.	**खंड II** **2.1 - निविदा अनुसूची, क्रमांक 5** **खंड II** **2.1 - निविदा अनुसूची, क्रमांक 6**	पूर्ण बोली प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने/अपलोड करने की अंतिम तिथि और समय – 20 जून, 2025 को 1430 बजे तकनीकी बोलियाँ और दस्तावेज़ खोलना - 20 जून, 2025 को 1500 बजे	पूर्ण बोली प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने/अपलोड करने की अंतिम तिथि और समय – 04 जुलाई, 2025 को 1430 बजे तकनीकी बोलियाँ और दस्तावेज़ खोलना - 04 जुलाई, 2025 को 1500 बजे
5.	**खंड III** **3.4 क्रमांक 2 कार्य अनुभव पैरा 1**	ईओआई चरण के तहत प्रस्तुत पूर्ण/चालू परियोजनाओं के लिए फॉर्म ई के अनुसार क्लाइंट (निविदाकर्ता का) निष्पादन रिपोर्ट। परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्ट, बैंक द्वारा सूचित की जानी चाहिए, निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए:	ईओआई चरण के तहत प्रस्तुत पूर्ण/चालू परियोजनाओं के लिए फॉर्म ई के अनुसार क्लाइंट (निविदाकर्ता का) प्रदर्शन रिपोर्ट (सीपीआर)। ऐसे मामलों में जहां सीपीआर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित ग्राहकों के साथ बैंक की बातचीत की व्यवस्था करे और यह सुनिश्चित करे कि इस संबंध में क्लाइंट/ग्राहकों से पर्याप्त फीडबैक प्राप्त हो। परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्ट, बैंक द्वारा सूचित की जानी चाहिए, निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए:

6.	**3.6.2** **निविदा का तकनीकी मूल्यांकन**	यदि यह पाया जाता है कि ईओआई प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी, विशेष रूप से कार्य अनुभव और प्रमुख कार्मिक के संबंध में, आरएफपी चरण में उपलब्ध / सत्यापन योग्य नहीं है, तो निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वह वाणिज्यिक बोलियां खोलने के लिए पात्र नहीं होगा।	कार्य अनुभव और मुख्य कार्मिकों के लिए अंकों को घटाया जाएगा और ईओआई से आरएफपी चरण में आगे बढ़ाया जाएगा। ईओआई चरण के दौरान बोलीदाता द्वारा 'कार्य अनुभव' के बारे में किए गए सबमिशन को आरएफपी के फॉर्म ई के तहत मांगी गई क्लाइंट परफॉरमेंस रिपोर्ट के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इसे प्रस्तुत न करने पर या तो स्कोर प्रभावित हो सकता है या आवेदकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसी तरह, यदि ईओआई चरण के दौरान मुख्य कार्मिकों के बारे में किए गए सबमिशन को आरएफपी के लिए तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के दौरान बदल दिया जाता है, तो इससे स्कोर प्रभावित हो सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्य घोषित आवेदकों की वाणिज्यिक बोलियाँ नहीं खोली जाएँगी।
7.	**4.13** **निर्धारित मूल्य**	निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य, कार्य के दायरे में उल्लिखित चरण I के लिए भाग I - डीपीआर और भाग II - विक्रेता चयन और परियोजना प्रबंधन के लिए अनुबंध अवधि के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिए दृढ़ और निश्चित रहेंगे।	निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य, कार्य के दायरे में उल्लिखित भाग I - डीपीआर और भाग II - विक्रेता चयन और परियोजना प्रबंधन के लिए अनुबंध अवधि के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिए दृढ़ और निश्चित रहेंगे।
8.	**4.19.1** **कार्य निष्पादन हेतु बैंक गारंटी** **Form I – कार्य आश्वासन को लेकर बैंक गारंटी का प्रारूप - 4 (d)**	..... चरण-I की भौतिक सुविधाओं के लिए विक्रेता चयन और परियोजना प्रबंधन हेतु पीबीजी 64 महीनों के लिए प्रदान किया जाएगा, अर्थात 50 महीने + 12 महीने स्थिरीकरण अवधि + 2 महीने। ..... चरण-I की भौतिक सुविधाओं के लिए विक्रेता चयन और परियोजना प्रबंधन हेतु पीबीजी 64 महीनों के लिए प्रदान किया जाएगा, अर्थात 50 महीने + 12 महीने स्थिरीकरण अवधि + 2 महीने।	वाक्यांश "64 माह अर्थात् 50 माह" को "65 माह अर्थात् 51 माह" पढ़ा जाएगा।
9.	**5.8.1** **संविदा में संशोधन**	यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिजाइन या विनिर्देशों, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, में परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो मूल डिजाइन को	यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिजाइन या विनिर्देशों, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकार किया गया था, में डिजाइन अंतराल / दोष / त्रुटियों के कारण परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो मूल डिजाइन को परामर्शदाता-सह-

		परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपयुक्त रूप से अद्यतन किया जाएगा।	परियोजना प्रबंधक द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपयुक्त रूप से अपडेट किया जाएगा। बैंक केवल व्यापक स्तर पर डीपीआर को स्वीकार करेगा क्योंकि बैंक के लिए यह पहचानना संभव नहीं होगा कि क्या कुछ सूक्ष्म स्तर पर कार्यात्मक नहीं है।
10.	**5.10** **मूल्य वृद्धि**	5.10.1 चरण I का विलंबित कार्यान्वयन: चरण I के लिए अनुबंधित अवधि की अवधि के एक वर्ष बाद तक शुल्क स्थिर रहेंगे (अर्थात अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 5 वर्ष तक)। इस अवधि (5 वर्ष) से परे देय भुगतानों के लिए, वृद्धि पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब बैंक संतुष्ट हो कि देरी परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक के कारण नहीं है। जहां बैंक संतुष्ट हो कि इस तरह की मूल्य वृद्धि उचित है, अनुबंधित शुल्क का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के सूचकांक के बाद आनुपातिक आधार पर किया जाएगा, उस अवधि के दौरान जिसे बैंक द्वारा वृद्धि के लिए योग्य माना जाता है। मूल्य वृद्धि की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा। .....CI_o = श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा माह के अंत में घोषित परियोजना स्थान के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 वर्ष के बाद, साथ ही चरण I के संबंध में परामर्शदाता (बैंक के विवेक पर) के कारण हुई देरी, यदि कोई हो..... 5.10.2 चरण I अनुबंध अवधि के भीतर शुरू होने वाले भविष्य के चरण: चरण 1 की अनुबंध अवधि (यानी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 4 साल के भीतर) के भीतर शुरू होने वाले किसी भी भविष्य के चरण के कार्यान्वयन के दौरान, चरण I या 5 साल के लिए RBI की संतुष्टि के बाद आने वाले इन चरणों के लिए	वाक्यांश "5 वर्ष" को "5 वर्ष और 3 महीने" पढ़ा जाएगा। वाक्यांश "4 वर्ष" को "4 वर्ष और 3 महीने" पढ़ा जाएगा।

		सभी आनुपातिक भुगतान, जो भी बाद में हो, चरण I या 5 साल के लिए RBI की संतुष्टि के बाद CPI में अनुक्रमित किए जाएंगे, जो भी बाद में हो। मूल्य वृद्धि की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा। .....CI_T = प्रथम चरण के लिए संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय, श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा माह के अंत में घोषित परियोजना स्थान के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या 5 वर्ष, जो भी बाद में हो, साथ ही भविष्य के चरणों के संबंध में परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक (बैंक के विवेक पर) को, यदि लागू हो, तो दिए जाने वाले विलम्ब को भी शामिल किया जाएगा .... 5.10.3 चरण I अनुबंध अवधि के बाद शुरू होने वाले भविष्य के चरण: अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 4 वर्ष से अधिक की निष्पादन अवधि के लिए, जैसा कि पैरा 5.10.2 में बताया गया है, बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। सभी बढ़ी हुई कीमतें सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक के कारण होने वाली देरी के लिए समायोजित की जाएंगी, यदि कोई हो। परियोजना प्रबंधन कार्यालय (सुविधाओं के स्थिरीकरण चरण तक) को चलाने की समयसीमा पहले के चरणों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर 6 महीने कम हो जाएगी।	
11.	**5.10.1 के अंतर्गत सूचित फ़ेज I का विलंबित कार्यान्वयन :**	आरएफपी में कोई मौजूदा खंड नहीं	(iii) किसी भी भुगतान माइलस्टोन के लिए जो मूल रूप से T+63 महीने के बाद देय होता है, मूल्य वृद्धि खंड T+75 महीने से लागू हो जाएगा, अर्थात माइलस्टोन के देय होने के 1 वर्ष बाद।
12.	**5.11 निविदाकार को भुगतान – बिन्दु (ii) व 3.9 (ii)**	कुल वाणिज्यिक बोली में डीपीआर की अधिकतम सीमा 7% तथा विक्रेता चयन की अधिकतम सीमा 6% होगी।	कुल वाणिज्यिक बोली में डीपीआर की अधिकतम सीमा 9% तथा विक्रेता चयन की अधिकतम सीमा 9% होगी।

<table>
<tr>
<td>13.</td>
<td>5.11 निविदाकार को भुगतान – बिन्दु टेबल (iii)</td>
<td>कृपया मील के पत्थरों के लिए कॉलम "डिलीवरी समयसारणी (दो माइलस्टोन के बीच)" और "संचयी डिलीवरी समयसारणी" देखें
<table>
<tr><th>माइलस्टोन</th><th>डिलीवरी समयसीमा (दो माइलस्टोन के बीच)</th><th>डिलीवरी की अंतिम समयसीमा</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>T= परामर्शदाता सह परियोजना प्रबंधक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि</td></tr>
<tr><td>I</td><td>03 महीने</td><td>T+3 महीने</td></tr>
<tr><td>II</td><td>02 महीने</td><td>T+5 महीने</td></tr>
<tr><td>III</td><td>02 महीने</td><td>T+7 महीने</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>02 महीने</td><td>T+9 महीने</td></tr>
<tr><td>V*</td><td>11 महीने</td><td>T+पीएम सीए के लिए माइलस्टोन (V) (ए) और पीएम पीएफ चरण I के लिए माइलस्टोन (V) (बी) के लिए 20 महीने</td></tr>
<tr><td>VI $</td><td>माइलस्टोन VII के समानांतर किया जाना है</td><td></td></tr>
<tr><td>VII $</td><td>24 महीने..... नियत समय)</td><td>चरण I के लिए T+44 महीने</td></tr>
<tr><td>VIII**$</td><td>6 महीने..... .....चरण I</td><td>T+50 महीने</td></tr>
<tr><td></td><td>स्थिरीकरण के लिए, गो-लाइव के 12 महीने बाद... चरण I</td><td>T+62 महीने</td></tr>
</table>
</td>
<td>संशोधित डिलीवरी समयसारणी (दो माइलस्टोन के बीच) और माइलस्टोन के लिए संचयी डिलीवरी समयसारणी निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th>माइलस्टोन</th><th>डिलीवरी समयसारणी (दो माइलस्टोन के बीच)</th><th>संचयी डिलीवरी समयसारणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>T= सलाहकार सह परियोजना प्रबंधक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि</td></tr>
<tr><td>I</td><td>04 महीने</td><td>T+4 महीने</td></tr>
<tr><td>II</td><td>यथावत</td><td>T+6 महीने</td></tr>
<tr><td>III</td><td>यथावत</td><td>T+8 महीने</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>यथावत</td><td>T+10 महीने</td></tr>
<tr><td>V*</td><td>यथावत</td><td>T+पीएम सीए के लिए माइलस्टोन (V) (A) और पीएम पीएफ चरण I के लिए माइलस्टोन (V) (B) के लिए 21 महीने</td></tr>
<tr><td>VI $</td><td>यथावत</td><td>यथावत</td></tr>
<tr><td>VII $</td><td>यथावत</td><td>चरण I के लिए T+45 महीने</td></tr>
<tr><td>VIII**$</td><td>यथावत</td><td>T+51 महीने</td></tr>
<tr><td></td><td>यथावत</td><td>T+63 महीने</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			चरण II में सभी सुविधाओं का एकीकरण और स्थिरीकरण। (बाद के चरणों के लिए समय-सीमा नियत समय में तय की जाएगी)	यथासमय ठीक किया जाएगा।		यथावत	यथावत
			चरण III में सभी सुविधाओं का एकीकरण और स्थिरीकरण। (बाद के चरणों के लिए समय-सीमा यथासमय तय की जाएगी)	यथासमय ठीक किया जाएगा।		यथावत	यथावत
		IX**$	18 महीने के लिए ..... चरण I (सीए क्षेत्रों के एकीकरण के लिए 6 महीने + सुविधा के स्थिरीकरण के लिए 12 महीने)	T+62 महीने	IX**$	यथावत	T+63 महीने
					आरएफपी के अनुसार माइलस्टोन से संबंधित अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित हैं।		

14.	**5.11 निविदाकर्ता को भुगतान माइलस्टोन V ***	माइलस्टोन V (A): केंद्रीकृत क्षेत्रों के लिए विक्रेता का चयन प्रत्येक आरएफपी* के लिए निम्नलिखित 2 चरणों के अनुसार आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा: i. किसी विशेष विक्रेता के संबंध में जारी आरएफपी के जवाब में प्राप्त बोलियों को खोलना – आनुपातिक शुल्क का 50% ii. विक्रेता के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना – आनुपातिक शुल्क का शेष 50%	माइलस्टोन V (A): केंद्रीकृत क्षेत्रों के लिए विक्रेता का चयन निम्नलिखित 3 चरणों के अनुसार प्रत्येक RFP* के लिए आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा: i. आरएफपी जारी करने पर 30% ii. बोली खोलने पर 30% iii. विक्रेता ऑनबोर्डिंग पर 40%
15.	**5.12 भुगतान का समय**	माइलस्टोन-आधारित भुगतान: परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक माइलस्टोन के आधार पर ही चालान तैयार करेगा, जिसका भुगतान परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत चालान पर बैंक द्वारा मांगे गए किसी भी स्पष्टीकरण के संतोषजनक उत्तर के 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। भुगतान में 45 दिनों से अधिक की देरी से बैंक पर ब्याज देयता बढ़ सकती है।	माइलस्टोन-आधारित भुगतान: परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक माइलस्टोन के आधार पर ही चालान तैयार करेगा, जिसका भुगतान परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत चालान पर बैंक द्वारा मांगे गए किसी भी स्पष्टीकरण के संतोषजनक उत्तर के 45 दिनों के भीतर (आमतौर पर 15 दिनों के भीतर) किया जाएगा। भुगतान में 45 दिनों से अधिक की देरी से बैंक पर ब्याज देयता बढ़ सकती है।
16.	**5.14 भुगतान की क्षतिपूर्ति (vii) सेवाओं में कमी के लिए आर्थिक दंड**	परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, परियोजना पर या बैंक की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों के मामले में, बैंक के पास ऐसी इकाई को निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का विवेकाधिकार है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक को उसका पालन करना होगा।	परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, परियोजना पर या बैंक की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों के मामले में, बैंक के पास सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, ऐसी इकाई को निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का विवेकाधिकार है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक को उसका पालन करना होगा।
17.	**5.15.2 बीमा**	उपर्युक्त नीति संयुक्त नामों में होंगी जिनमें पहले बैंक का नाम अंकित होगा तथा कार्य प्रारंभ होने से पूर्व उसकी एक प्रति बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।	परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पहले बीमा पॉलिसी की एक प्रति बैंक को प्रस्तुत की जानी होगी।

18.	**5.16.3 क्षतिपूर्ति** **फॉर्म जे** **परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बांड – पैरा 12**	.... यह बांड अंतिम चरण के स्थायित्व' से 10 वर्ष तक वैध रहेगा। .... यह बांड अंतिम चरण के स्थायित्व' से 10 वर्ष तक वैध रहेगा।	.... यह बांड अंतिम चरण के स्थायित्व से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। .... यह बांड अंतिम चरण के स्थायित्व से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।
19.	**फॉर्म जे** **परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बांड**	यह क्षतिपूर्ति बांड यह प्रमाणित करता है कि इस आरएफपी के तहत नियुक्त ..... (क्षतिपूर्तिकर्ता का नाम) नीचे उल्लिखित दो जमानतदारों के साथ पूर्णतः, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त क्षतिपूर्ति करता है और संयुक्त रूप से और अलग-अलग गारंटी देने का वचन देता है और बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सहमत होता है। जमानतदार 1 हस्ताक्षर ..... नाम ..... पता ..... संपर्क विवरण (मोबाइल / ईमेल-आईडी)..... जमानतदार 2 हस्ताक्षर ..... नाम..... पता ..... संपर्क विवरण(मोबाइल / ईमेल-आईडी.....	यह क्षतिपूर्ति बांड यह प्रमाणित करता है कि इस आरएफपी के तहत नियुक्त ..... (क्षतिपूर्तिकर्ता का नाम) इसके द्वारा पूर्णतः, अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त क्षतिपूर्ति करता है और गारंटी देने का वचन देता है और बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सहमत होता है। ..... फॉर्म जे के अंत में जमानतदार के संदर्भ को हटा दिया गया है।
20.	**5.18 प्रूफ़ जाँच**	5.18.1. बैंक को इस संबंध में बैंक द्वारा चुने गए प्रूफ कंसल्टेंट द्वारा डिजाइन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रूफ जांच करवाने का	बैंक को इस संबंध में तय किए गए प्रूफ कंसल्टेंट द्वारा डिजाइन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रूफ जांच कराने का अधिकार होगा। इसके

		अधिकार होगा। इसके अलावा, बैंक को सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निष्पादन के विभिन्न चरणों की रैंडम प्रूफ जांच करने का भी अधिकार होगा। सभी विवरण समय पर बैंक / उसके प्रतिनिधियों / प्रूफ कंसल्टेंट को उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि डिजाइन / प्रोजेक्ट रिपोर्ट के किसी घटक / रैंडम जांच के दौरान पाई गई किसी कमी या विचलन को संशोधित या सही करने की आवश्यकता है, तो उसे कंसल्टेंट-सह-प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बिना किसी आपत्ति के अपने खर्च पर किया जाएगा। अन्यथा, बैंक को कंसल्टेंट-सह-प्रोजेक्ट मैनेजर के जोखिम और लागत पर इसे ठीक करवाने का अधिकार होगा।	अलावा, बैंक को सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निष्पादन के विभिन्न चरणों की बेतरतीब ढंग से प्रूफ जांच करने का भी अधिकार होगा। सभी विवरण समय पर बैंक / उसके प्रतिनिधियों / प्रूफ कंसल्टेंट को उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि डिजाइन / परियोजना रिपोर्ट के किसी भी घटक / यादृच्छिक जांच के दौरान पाई गई किसी भी कमी या विचलन को संशोधित या ठीक करने की आवश्यकता है, तो उसे बिना किसी आपत्ति के कंसल्टेंट-सह-प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा। अन्यथा, बैंक को कंसल्टेंट-सह-प्रोजेक्ट मैनेजर के जोखिम और लागत पर इसे ठीक करने का अधिकार होगा। यदि प्रूफ जांच के लिए बाहरी पार्टी को लगाया जाता है, तो गोपनीयता के लिए एक वचनबद्धता ली जाएगी।
21.	**5.21** **बौद्धिक सम्पदा अधिकार**	5.21.1 परियोजना के दौरान उत्पन्न/सृजित/आविष्कृत किसी भी बौद्धिक संपदा से संबंधित सभी अधिकार बैंक के पास निहित होंगे। 5.21.2 इस उप-खंड में, "उल्लंघन" का अर्थ है परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं से संबंधित किसी भी पेटेंट, पंजीकृत डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, व्यापार रहस्य या अन्य बौद्धिक या औद्योगिक संपत्ति अधिकार का उल्लंघन (या उल्लंघन का आरोप) और "दावा" का अर्थ है उल्लंघन का आरोप लगाने वाला दावा (या दावे का अनुसरण करने वाली कार्यवाही)। परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक अपनी लागत और व्यय पर क्षतिपूर्ति करेगा और परियोजना रिपोर्ट में दिए गए डिजाइन, लेआउट, चित्र, विवरण आदि से उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य दावे के विरुद्ध बैंक को हानिरहित बनाए रखेगा।	5.21.1 बैंक द्वारा निर्मित बौद्धिक संपदा का स्वामित्व: परियोजना के दौरान परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक (या इसके तकनीकी भागीदार या परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक की सहायता करने वाला कोई पक्ष) द्वारा तैयार किए गए सभी प्लान, सॉफ्टवेयर, चित्र, विनिर्देश, डिजाइन, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज, जिनमें व्युत्पन्न, संशोधन, अनुकूलन, संवर्द्धन आदि शामिल हैं (सामूहिक रूप से "परियोजना दस्तावेज" के रूप में संदर्भित) बैंक की संपत्ति बन जाएंगे और बने रहेंगे, और ऐसे परियोजना दस्तावेजों में सभी बौद्धिक संपदा अधिकार बैंक के पास होंगे। कोई भी परियोजना दस्तावेज जिसका स्वामित्व या बौद्धिक संपदा अधिकार कानून के तहत बैंक के पास नहीं है, वह स्वचालित रूप से बैंक के पास हमेशा के लिए लाइसेंसीकृत हो जाएगा, जब भी ऐसा परियोजना दस्तावेज बनाया जाएगा और परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक सभी कागजात निष्पादित करने और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए सहमत होगा, जिन्हें बैंक परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक द्वारा लाइसेंस प्राप्त अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक

			समझे, परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक को कोई संदर्भ दिए बिना बैंक द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए।. 5.21.2 विद्यमान बौद्धिक संपदा: यह समझा और सहमति व्यक्त की गई है कि परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक अपनी स्वामित्व संबंधी जानकारी में अपने सभी अधिकारों को बनाए रखेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, इसकी कार्यप्रणाली और विश्लेषण के तरीके, विचार, अवधारणाएं, जानकारी, पद्धतियां, तकनीक, कौशल, ज्ञान और अनुभव शामिल हैं, जो परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक द्वारा इस आरएफपी के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन से पहले प्राप्त किए गए थे। 5.21.3 अनुबंध के पूरा होने या समाप्ति पर: अनुबंध की समाप्ति (किसी भी कारण से) या आरएफपी के तहत परियोजना के पूरा होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक बैंक को सभी जानकारी (इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी सहित), गोपनीय जानकारी, बौद्धिक संपदा, कार्य पत्र, रिपोर्ट या अन्य कागजात जो बैंक की संपत्ति हैं, सौंप देगा। 5.21.4 क्षतिपूर्ति: परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक अपने स्वयं के खर्च पर क्षतिपूर्ति करेगा तथा बैंक को नुकसान से बचाएगा, किसी भी अन्य दावे के विरुद्ध जो सॉफ्टवेयर, डिजाइन, लेआउट, चित्र, परियोजना रिपोर्ट में दिए गए विवरण आदि से उत्पन्न होता है। इस उप-खंड में, "उल्लंघन" का अर्थ है परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं से संबंधित किसी भी पेटेंट, पंजीकृत डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, व्यापार रहस्य या अन्य बौद्धिक या औद्योगिक संपदा अधिकार का उल्लंघन (या उल्लंघन का

			आरोप) और "दावा" का अर्थ है उल्लंघन का आरोप लगाने वाला दावा (या दावे का अनुसरण करने वाली कार्यवाही)।
22.	**5.22.1** **संविदा की समाप्ति**	बैंक, अपने पास उपलब्ध किसी भी अन्य संविदात्मक अधिकार और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 30 दिन के लिखित नोटिस द्वारा, अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है, यदि परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक - i. डीपीआर में दर्शाए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए समय-सारिणी के भीतर सभी या किसी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है;	बैंक, अपने पास उपलब्ध किसी भी अन्य संविदात्मक अधिकार और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 30 दिन के लिखित नोटिस द्वारा, अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है, यदि परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक i. डीपीआर में दर्शाए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए समय-सीमा के भीतर डिलीवरी करने में विफल रहता है, बैंक द्वारा पहचाने गए दोषों को दूर करने में विफल रहता है या सभी या किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है;
23.	**5.29.3** **कानून और विनियमों के मानक और अनुपालन**	परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक इस अनुबंध के निष्पादन के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सांविधिक निकायों के सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा, जहां तक ऐसे निकायों का अनुबंध कार्य या साइट के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार है।	सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक इस अनुबंध के निष्पादन के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य वैधानिक निकायों के सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा, जहाँ तक ऐसे निकायों का अनुबंध कार्य या साइट के किसी भाग पर अधिकार क्षेत्र है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद पेश किए गए किसी भी नए कानून/आवश्यकताओं के कारण कोई भी परिवर्तन जो सेवाओं की समयसीमा/लागत को प्रभावित करेगा, इस आरएफपी में निर्धारित परिवर्तन अनुरोध प्रक्रिया (पैरा 5.39) के अधीन होगा।
24.	**5.39** **बदलाव का अनुरोध**	5.39.2 'परिवर्तन अनुरोध' के तहत किसी परिवर्तन पर विचार करने के संबंध में बैंक का निर्णय (अर्थात, जिसके लिए परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक की ओर से काफी संसाधन/समय की आवश्यकता हो या जिसके लिए काफी लागत की आवश्यकता हो) और देय शुल्क अंतिम होंगे तथा परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक पर बाध्यकारी होंगे। किसी	पैरा 5.39.2 हटा दिया गया है।

		अन्य परिवर्तन को मामूली माना जाएगा, जिसके लिए 'परिवर्तन अनुरोध' के रूप में विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। 5.39.4 (iii) यदि आवश्यक हो तो बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा अनुमोदन।	5.39.4 (iii) प्रस्तावित परिवर्तन अनुरोध पर विचार करने और उसे स्वीकृत करने के लिए बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित बाहरी विशेषज्ञों/सदस्यों वाली समिति द्वारा अनुमोदन। उक्त समिति का निर्णय (तकनीकी और वित्तीय दोनों) अंतिम माना जाएगा।.
25.	**अनुलग्नक I - मुद्रा प्रबंधन केंद्र (सीएमसी) का अवलोकन - पैरा 1.बी. (iii)**	आवासीय व्यवस्था, शौचालय, शिशु पालन गृह, सुरक्षा कर्मचारियों के लिए पार्किंग/गार्ड रूम, शस्त्रागार, शस्त्र मरम्मत/रखरखाव क्षेत्र, ट्रक पार्किंग क्षेत्र। आवासीय और मुख्य सुरक्षा क्षेत्र परिसर को अधिमानतः अलग-अलग होना चाहिए।	आवासीय व्यवस्था का संदर्भ हटा दिया गया है।
26.	**अनुलग्नक II (कार्य का विस्तृत दायरा) - भाग I(ए)(जी);** **भाग II – विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग और परियोजना प्रबंधन के लिए निविदा प्रक्रिया (ii)** **निर्माण-पूर्व चरण (ix)**	आवेदन प्रस्तुत करने सहित दस्तावेज तैयार करना; स्थानीय वैधानिक/सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय और संपर्क करना, जहां भी आवश्यक हो, संपर्क वास्तुकार की नियुक्ति करना और बैंक (या बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था) की ओर से वैधानिक अनुमोदन/मंजूरी/एनओसी आदि प्राप्त करना। ... आवश्यक सहायता, जैसे कि स्वामित्व विलेख और अन्य दस्तावेज, चित्र आदि उपलब्ध कराना, बैंक (या बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था) द्वारा प्रदान किया जाएगा।	आवेदन प्रस्तुत करने सहित दस्तावेज तैयार करना; स्थानीय वैधानिक/सभी संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय और संपर्क करना, जहां भी आवश्यक हो, बैंक (या बैंक द्वारा तय की गई किसी अन्य संस्था) की ओर से वैधानिक अनुमोदन/मंजूरी/एनओसी आदि प्राप्त करने के लिए संपर्क वास्तुकार की नियुक्ति करना। जहां भी आवश्यक हो, संपर्क वास्तुकार की नियुक्ति परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएगी, जो अपनी वाणिज्यिक बोली के हिस्से के रूप में संबंधित लागत को ध्यान में रखेगा। ...आवश्यक सहायता जैसे कि शीर्षक विलेख और अन्य दस्तावेज, चित्र आदि उपलब्ध कराना, बैंक (या बैंक द्वारा तय की गई किसी अन्य संस्था) द्वारा प्रदान किया जाएगा।
27.	**अनुलग्नक II (कार्य का विस्तृत दायरा) - भाग I (सी) - डीपीआर की स्वीकृति**	डीपीआर नीचे दी गई समय-सीमा के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी: **क्र. सं. | कार्य का विवरण | समयसीमा**	डीपीआर नीचे दी गई समय-सीमा के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी: **क्र सं. | कार्य का प्रकार | समयसीमा** 1. | संकल्पनात्मक वास्तुशिल्प डिजाइनों के साथ मसौदा | T (अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि) + 4 महीने

		1.	संकल्पनात्मक वास्तुशिल्प डिजाइनों के साथ मसौदा डीपीआर प्रस्तुत करना, जिसमें योजनाएं और उन्नयन शामिल हैं, और स्वचालन और अन्य सभी तत्वों का 'योजनाबद्ध' डिजाइन, जैसा कि आरएफपी में विस्तृत रूप से बताया गया है (सभी क्षेत्रों के लिए)	T(अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि) + 3 महीने		डीपीआर प्रस्तुत करना, जिसमें योजनाएं और उन्नयन शामिल हैं, और स्वचालन और अन्य सभी तत्वों का 'योजनाबद्ध' डिजाइन, जैसा कि आरएफपी में विस्तृत रूप से बताया गया है (सभी क्षेत्रों के लिए)	
		2.	आरएफपी में दिए गए विवरण के अनुसार, योजनाओं और उन्नयनों सहित अंतिम वास्तुशिल्प डिजाइन, स्वचालन और अन्य सभी शामिल तत्वों के अंतिम 'योजनाबद्ध' डिजाइन के साथ मसौदा डीपीआर प्रस्तुत करना, साथ ही बैंक द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करना, यदि कोई हो। सुविधाओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रारंभिक लागत अनुमान प्रस्तुत करना।	T+5 महीने	2.	बैंक द्वारा समीक्षा/टिप्पणियाँ	T+ 5 महीने
					3.	आरएफपी में दिए गए विवरण के अनुसार, योजनाओं और उन्नयनों सहित अंतिम वास्तुशिल्प डिजाइन, स्वचालन और अन्य सभी शामिल तत्वों के अंतिम 'योजनाबद्ध' डिजाइन के साथ मसौदा डीपीआर प्रस्तुत करना, साथ ही बैंक द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करना, यदि कोई हो। सुविधाओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रारंभिक लागत अनुमान प्रस्तुत करना।	T+6 महीने
					4.	बैंक द्वारा समीक्षा एवं स्वीकृति	T+7 महीने

		3. डीपीआर के तहत विस्तृत रूप से सभी डिलिवरेबल्स प्रस्तुत करना, जिसमें बैंक द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करना, यदि कोई हो, और पहचाने गए स्थान का विस्तृत डिज़ाइन जहां भूमि उपलब्ध है। T+7 महीने 4. बैंक द्वारा समीक्षा एवं स्वीकृति T+9 महीने	5. डीपीआर के तहत वर्णित सभी डिलिवरेबल्स प्रस्तुत करना, जिसमें बैंक द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करना, यदि कोई हो, तथा चिन्हित स्थान का विस्तृत डिजाइन, जहां भूमि उपलब्ध है, शामिल है। T+8 महीने 6. बैंक द्वारा समीक्षा एवं स्वीकृति T+10 महीने
28.	**अनुलग्नक II (कार्य का विस्तृत दायरा) - भाग I (सी) डीपीआर की स्वीकृति**	बैंक किसी भी समय डीपीआर में संशोधन या परिवर्तन का सुझाव देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए बैंक को कोई अतिरिक्त लागत नहीं देनी होगी।	बैंक को डीपीआर में किसी भी समय संशोधन या परिवर्तन का सुझाव देने का अधिकार है, बैंक को डीपीआर स्वीकार होने तक इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी।
29.	**अनुलग्नक II (कार्य का विस्तृत दायरा) - भाग II - विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग और परियोजना प्रबंधन पूर्व-निर्माण चरण के लिए निविदा प्रक्रिया (xii)**	सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक को निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना का निर्माण पूरा करना होगा। देरी के मामले में, जो सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक के नियंत्रण से परे कारणों से हो सकती है, सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक बैंक को कार्यों को पूरा करने और अनुबंध को चालू रखने के लिए समय सीमा में विस्तार के बारे में पूरी जानकारी देगा। हालाँकि, निर्माण अनुबंधों में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के समय के विस्तार के लिए कोई भी अनुमोदन बैंक (या बैंक द्वारा तय की गई किसी अन्य संस्था) पर किसी भी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के बिना होगा।	सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक को निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना का निर्माण पूरा करना होगा। देरी के मामले में, जो सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक के नियंत्रण से परे कारणों से हो सकती है, सलाहकार-सह-परियोजना प्रबंधक बैंक को कार्यों को पूरा करने और अनुबंध को चालू रखने के लिए समय सीमा में विस्तार के बारे में पूरी जानकारी देगा। हालाँकि, निर्माण अनुबंधों में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के समय के विस्तार के लिए कोई भी अनुमोदन बैंक (या बैंक द्वारा तय की गई किसी अन्य संस्था) पर किसी भी अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ के बिना होगा, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।
30.	**अनुलग्नक II – कार्य का विस्तृत दायरा - भाग II - विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग**	परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक, कार्यों के लिए चयनित विक्रेताओं के बीच विवादों, यदि कोई हो, का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक उपयुक्त विवाद-समाधान	परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक बैंक के परामर्श से एक उपयुक्त विवाद समाधान तंत्र विकसित करेगा तथा कार्यों के लिए

	और परियोजना प्रबंधन पूर्व-निर्माण चरण के लिए निविदा प्रक्रिया - पैरा (xvii)	तंत्र विकसित करेगा। परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक, विवादों के अंतिम समाधान तक विभिन्न एजेंसियों के बीच मध्यस्थता मामलों का संचालन करेगा।	चयनित विक्रेताओं के बीच विवाद, यदि कोई हो, का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करेगा।
31.	**अनुलग्नक II (कार्य का विस्तृत दायरा) - भाग II - विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग और परियोजना प्रबंधन के लिए निविदा प्रक्रिया** **निर्माण के बाद का चरण** **- परीक्षण, कमीशनिंग, प्रशिक्षण और हैंडओवर**	आरएफपी में कोई मौजूदा खंड नहीं	(vi) के रूप में प्रस्तुत किया गया खंड - "यदि अनुमोदित एजेंसियों द्वारा कुछ प्रमाणन / परीक्षण किया जाना आवश्यक है, तो इसकी व्यवस्था परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक द्वारा की जाएगी और इसकी लागत रसीद प्रस्तुत करने के आधार पर प्रतिपूर्ति के आधार पर तय की जाएगी।"
32.	**फॉर्म I** **प्रदर्शन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा – पैरा 4**	आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।	इस गारंटी को आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा इसके प्रचलन के दौरान रद्द नहीं किया जाएगा।
33.	**फॉर्म I** **प्रदर्शन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा – पैरा 4 (जी)**	यदि कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा नहीं होता है तो गारंटी की अवधि समाप्त होने से दो (2) महीने पहले बढ़ाई जानी चाहिए।	यदि कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होता है तो गारंटी की अवधि समाप्ति से दो (2) महीने पहले बढ़ाई जा सकेगी।
34.	**फॉर्म ओ** **बयाना राशि जमा करने के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा - पैरा 4**	आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।	इस गारंटी को आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा इसके प्रचलन के दौरान रद्द नहीं किया जाएगा।

3. 27 मई, 2025 को आयोजित निविदा-पूर्व बैठक का कार्यवृत 'अनुलग्नक A' संलग्न हैं।

4. पूछे गए प्रश्नों का स्पष्टीकरण अनुलग्नक 'B' में संलग्न हैं। इन स्पष्टीकरणों को 02 मई, 2025 को जारी किए गए आरएफपी दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाएगा।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

मुद्रा प्रबंध विभाग

अनुलग्नक A

निविदा-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त – "मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं की खरीद" हेतु प्रस्ताव के लिए सीमित अनुरोध (आरएफपी)"

मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं की खरीद के लिए सीमित प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) 02 मई, 2025 को जारी किया गया था। आरएफपी में अनुसूची के अनुसार, मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा वेबएक्स के माध्यम से 27 मई, 2025 को 1430 बजे निविदा-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में ईओआई प्रक्रिया के लिए चुने गए आवेदकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनकी सूची नीचे संलग्न है।

श्री नागेश्वर राव कोरिपल्ली, आईआरएस (सेवानिवृत्त), और श्री प्रमोद फलनिकर, आईपीएस (सेवानिवृत्त) इस आरएफपी के लिए बोली-पूर्व/अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा संधि के लिए स्वतंत्र बाहरी परिवीक्षक ने बैठक का अवलोकन किया। बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागी थे:

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग का नाम
1.	श्री जे पी बंसल, मुमप्र	मुप्रवि, केंका
2.	श्री प्रदोष गांगुली	भूतपूर्व मप्र, भा.रि.बैं
3.	श्रीमती दीपिका झाझरिया , उमप्र	मुप्रवि, केंका
4.	श्रीमती टी पी हेमलता, उमप्र	मुप्रवि, केंका

5.	श्रीमती नीतिका गोगुला, एलओ	एलडी, सीओ
6.	श्री अरिंदम चक्रवर्ती, समप्र	मुप्रवि, केंका
7.	श्री वैभव दीपक हिंगमिरे , समप्र	मुप्रवि, केंका

चयनित आवेदकों की सूची जिन्हें सीमित आरएफपी जारी किया गया है

क्र. सं.	प्रतिनिधि का नाम	संगठन का नाम / के प्रतिनिधि
1.	Shri Shubham Baweja	The Boston Consulting Group (India) Private Limited
2.	Shri Somanaathan M	Miebach India / The Boston Consulting Group (India) Private Limited
3.	Shri K Saurabh Shrivastava	MECON Limited
4.	Shri Pravesh Singh	MECON Limited
5.	Shri Ratnadeep Gupta	MECON Limited
6.	Ms Kanchan Shukla	MECON Limited
7.	Shri Gaurav Shobhane	Accenture Solutions Private Limited
8.	Ms Sneha Savla	Accenture Solutions Private Limited
9.	Shri Gurpawan Singh	IIRIS / Accenture Solutions Private Limited

10.	Shri Jens Eberhardt	Cash Infrastructure Projects and Services GmbH / Accenture Solutions Private Limited
11.	Shri Sekar Ramajeyam	Cash Infrastructure Projects and Services GmbH / Accenture Solutions Private Limited
12.	Shri Naga	Cash Infrastructure Projects and Services GmbH / Accenture Solutions Private Limited
13.	Shri Arindam Chaudhari	AECOM India Pvt Ltd / Accenture Solutions Private Limited
14.	Shri Matt Sykes	The CPT Group / Accenture Solutions Private Limited
15.	Shri Scott Forster	The CPT Group / Accenture Solutions Private Limited
16.	Shri Taha Ansari	Colliers International (India) Property Services Private Limited
17.	Shri Ranjan Gupta	Colliers International (India) Property Services Private Limited

18.	Shri Arihant Jain	Colliers International (India) Property Services Private Limited
19.	Shri Ranjam Gupta	Professionals for Planning Architecture and Landscape (PPAL) / Colliers International (India) Property Services Private Limited
20.	Shri Kapil Narayan	Engineers India Limited
21.	Shri Sagar Goel	Engineers India Limited
22.	Shri Prasobh Muraleedharan	Engineers India Limited
23.	Shri Anup Kumar	Engineers India Limited
24.	Shri Vineet Kumar Parwal	PricewaterhouseCoopers Private Limited
25.	Shri Udaykumar M N	PricewaterhouseCoopers Private Limited
26.	Shri Santosh Dasari	PricewaterhouseCoopers Private Limited
27.	Shri Ayush Jajodia	PricewaterhouseCoopers Private Limited
28.	Shri Birger Rochtus	PEC / PricewaterhouseCoopers Private Limited

2. आरएफपी दस्तावेज की शर्तों और नियमों के बारे में चयनित किए गए आवेदकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को स्पष्ट किया गया है। उक्त बिंदुओं के स्पष्टीकरण 'अनुलग्नक B' में दिये गए हैं।